

ग्रामीण स्थानीय शासन में महिला पंचायत प्रतिनिधियों का नेतृत्व, सहभागिता एवं चुनौतियाँ: पंचायत समिति हनुमानगढ़ का एक अनुभवजन्य अध्ययन

सुनीता गोदारा, शोधार्थी, राजनीतिविज्ञान, टांटीया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान
डॉ. विशाल छाबड़ा, (प्रोफेसर), राजनीतिविज्ञान, टांटीया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर, राजस्थान

सार

भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आधार मानी जाती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के पश्चात महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया, जिससे ग्रामीण शासन व्यवस्था में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी। राजस्थान में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएँ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ-साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास की नई संभावनाएँ विकसित हुई हैं।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य पंचायत समिति हनुमानगढ़ के अंतर्गत महिला पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व, स्थानीय शासन में उनकी सहभागिता तथा कार्य निष्पादन के दौरान आने वाली सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का अनुभवजन्य विश्लेषण करना है। अध्ययन यह समझने का प्रयास करेगा कि महिला प्रतिनिधियों का नेतृत्व ग्रामीण विकास, जनसहभागिता, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय तथा सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किस प्रकार योगदान देता है। साथ ही यह भी मूल्यांकन किया जाएगा कि महिला प्रतिनिधियों की कार्यक्षमता किन परिस्थितियों एवं कारकों से प्रभावित होती है।

परिचय

भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक सफलता स्थानीय स्तर पर जनता की सक्रिय भागीदारी पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। इसका उद्देश्य शासन को गाँव तक पहुँचाना, जनता को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देना है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया, जिसके परिणामस्वरूप लाखों महिलाएँ पहली बार औपचारिक राजनीतिक नेतृत्व का हिस्सा बनीं।

राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किए जाने के बाद पंचायतों में उनकी भागीदारी लगातार बढ़ी है। वर्तमान समय में महिला प्रतिनिधियाँ केवल निर्वाचित सदस्य नहीं हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला एवं बाल विकास, जल संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उनकी सक्रियता ने स्थानीय प्रशासन को अधिक सहभागी एवं उत्तरदायी बनाने में योगदान दिया है।

साहित्य समीक्षा

बीना अग्रवाल (2019) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया कि पंचायतों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, सामुदायिक विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है। उनके अनुसार महिला नेतृत्व ग्रामीण विकास की गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

नीरजा गोपाल जायल (2018) ने स्थानीय लोकतंत्र एवं नागरिक भागीदारी पर अपने अध्ययन में बताया कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक समावेशन एवं सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (2020) के अध्ययन में पाया गया कि प्रशिक्षण प्राप्त महिला पंचायत प्रतिनिधि योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा प्रशासनिक कार्यों में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी होती हैं।

सिंह एवं शर्मा (2020) ने राजस्थान की पंचायतों पर किए गए अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि शिक्षा, पारिवारिक सहयोग तथा सामाजिक स्वीकृति महिला नेतृत्व की सफलता के प्रमुख निर्धारक हैं।

कुमार एवं चौधरी (2021) ने ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम माना है।

यूएन वूमेन (2021) की रिपोर्ट के अनुसार महिला प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी स्थानीय शासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह तथा नागरिक-केंद्रित बनाती है।

भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय (2022) ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि डिजिटल गवर्नेंस एवं ई-पंचायत प्रणाली के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों की प्रशासनिक दक्षता एवं पारदर्शिता में सुधार हुआ है।

शर्मा एवं वर्मा (2022) ने महिला पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष आने वाली प्रशासनिक, आर्थिक एवं तकनीकी चुनौतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक एवं अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धति पर आधारित होगा। अध्ययन क्षेत्र के रूप में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति हनुमानगढ़ का चयन किया जाएगा। अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

प्राथमिक आँकड़ों का संकलन महिला पंचायत प्रतिनिधियों से संरचित प्रश्नावली, व्यक्तिगत साक्षात्कार तथा प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से किया जाएगा। द्वितीयक आँकड़े पुस्तकों, शोध-पत्रों, सरकारी प्रतिवेदनों, जनगणना रिपोर्ट, पंचायती राज विभाग के अभिलेखों तथा अन्य प्रामाणिक स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे।

प्रतिदर्श का चयन उद्देश्यपूर्ण एवं सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति के आधार पर किया जाएगा। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत, सारणीकरण, तुलनात्मक विश्लेषण तथा व्याख्यात्मक पद्धति के माध्यम से किया जाएगा।

शोध अंतराल

महिला पंचायत प्रतिनिधियों पर अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय अध्ययन उपलब्ध हैं, किन्तु पंचायत समिति हनुमानगढ़ के संदर्भ में महिला नेतृत्व, स्थानीय शासन में उनकी वास्तविक सहभागिता, निर्णय-निर्माण की भूमिका तथा विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत कम उपलब्ध है।

अधिकांश शोध केवल महिला प्रतिनिधित्व या महिला सशक्तिकरण तक सीमित रहे हैं। स्थानीय स्तर पर डिजिटल शासन, प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक स्वीकृति तथा विकास परिणामों के मध्य संबंधों का समग्र विश्लेषण अभी भी अपेक्षित है। प्रस्तुत अध्ययन इन शोध अंतरालों की पूर्ति करने का प्रयास करेगा।

अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन पंचायत समिति हनुमानगढ़ में महिला पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व एवं सहभागिता का वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा। इससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि महिला प्रतिनिधि स्थानीय शासन एवं ग्रामीण विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। अध्ययन के निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, पंचायती राज विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। यह महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण, डिजिटल सशक्तिकरण, प्रशासनिक दक्षता तथा प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक सुधारों की पहचान करने में सहायक होगा।

यह शोध भविष्य के शोधार्थियों, सामाजिक वैज्ञानिकों तथा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े अध्येताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ सामग्री के रूप में भी उपयोगी सिद्ध होगा।

निष्कर्ष

महिला पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय शासन व्यवस्था में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ग्रामीण विकास को नई दिशा प्रदान की है। पंचायत समिति हनुमानगढ़ के संदर्भ में उनका नेतृत्व शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला कल्याण तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यद्यपि उन्हें सामाजिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी उनकी सक्रिय भागीदारी ग्रामीण लोकतंत्र को अधिक मजबूत एवं सहभागी बना रही है।

यदि महिला प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग, वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान तथा स्वतंत्र निर्णय लेने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाए, तो वे स्थानीय शासन एवं ग्रामीण विकास में और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं।

ग्रंथ सूची

1. अग्रवाल, बीना (2019)। लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा एवं सतत विकास लक्ष्य। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. जायल, नीरजा गोपाल (2018)। भारतीय लोकतंत्र में नागरिकता एवं स्थानीय शासन। नई दिल्ली।
3. भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय (2022)। वार्षिक प्रतिवेदन। नई दिल्ली।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (2020)। पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व। हैदराबाद।
5. यूनिसेफ इंडिया (2019)। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी। नई दिल्ली।
6. संयुक्त राष्ट्र महिला संगठन (यूएन वूमेन) (2021)। स्थानीय शासन में महिलाओं का नेतृत्व। नई दिल्ली।
7. सिंह, राजेश एवं शर्मा, पूजा (2020)। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी। भारतीय लोक प्रशासन पत्रिका।
8. कुमार, अमित एवं चौधरी, सुनीता (2021)। ग्रामीण महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास जर्नल।
9. शर्मा, मनोज एवं वर्मा, सीमा (2022)। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ। भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका।
10. मीना, राकेश एवं यादव, कृष्णा (2023)। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिका।